ISSN: 2456:6381
BIMS International Research Journal of Management and Commerce

सागर में रोलेट एक्ट एवं रतौना कसाई खाने के विरोध में आन्दोलन

Dr. G. R. Chohan
Assistant Professor, Govt. Nehru PG College Deori, Dist. Sagar (MP)

रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में पूरे भारत में उपवास एवं सभायें आयोजित की गयी सागर इससे अछूता नहीं रहा। बापू के सत्याग्रह का ही परिणाम था कि सागर के निवासियों ने खादी पहनना, चरखा चलाना, सूत काटना, तकली चलाना, शराब बंदी आदि एक आन्दोलन के रूप में आचरणगत स्वीकार किये। शराब के अड्डों को उखाड़ फेंका और इस दौरान गौ वध के लिये बने बूचड खानों को भी आन्दोलन प्रेमियों ने उखाड़ फेंका। सागर के रतोना में "कसाई घर उखाड़ फेंकने की घटना जिले में असहयोग आन्दोलन और बापू का ही प्रभाव था।

जिस समय पूरे देश में रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन गरम और चरम पर था ठीक उसी समय 1919 में अंग्रेजों ने अमेरिका की एक कम्पनी "सेंट डेबिट फोर्ट" को रतोना में एक इसाई खाना खोलने की स्वीकृति दे दी, जहाँ पर प्रतिदिन लगभग 5000 बेजान, मूक मवेशियों को काटा जाना था। और उसका माँस निर्यात किया जाना था। इसके लिए रतोना के पास एक रेलवे स्टेशन भी बन चुका था। यह कसाई घर सागर से 8 कि.मी. मीटर दूर पश्चिम की ओर रतोना में सेंट इंविट] फोर्ट कम्पनी द्वारा स्थापित किया गया था। गजेटियर के अनुसार इसे प्रतिदिन 1400 पशु काटने का लायसेंस मिला था। इस खबर को कलकत्ता से प्रकाशित "स्टेट्स मेन" जबलपुर से प्रकाशित " उनई ताज", "कर्मवीर" तथा "पंजाब केशरी" में प्रकाशित किया गया। 'इस खबर के प्रकाशित होने के बाद पूरे गोडवाना में तथा सागर के क्रांतिकारियों में गोवध को बचाने के लिये एक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इस आन्दोलन में उनई ताज के सम्पादक नाजउद्दीन तथा कर्मवीर के सम्पादक पं. माखनलाल चतुर्वेदी का विशेष योगदान रहा। कहा जाता है कि लाला लाजपत राय ने इस घटना के विरोध में अपने समाचार पत्र पंजाब केशरी में 53 हेड आर्टिकल प्रकाशित किये। यह आन्दोलन इतना तीव्र और जनाक्रोश से भरा हुआ था कि प्रदेश सरकार के लिए तत्काल प्रभाव से नगरपालिका की सीमाओं मे सागर, खुरई, दमोह और राहतगढ़ में खुले कसाई खानों को रतौना कसाई खाने के बंद करने की धमस में बंद करना पड़ा। यह घटना प्रान्त में अधिकारियों के विरुद्ध जन आन्दोलन की प्रथम विजय थी जो राज्य के राजनीतिक जीवन को उत्तेजित करने के काम आई। नये विचारों की झाँकी, नवनिर्मित मध्यप्रान्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में देखने को मिली। यह बैठक सागर में 24 नवम्बर 1921 को डॉ. राघवेन्द्रराव की अध्यक्षता में हुई थी। समिति ने प्रान्त के प्रत्येक जिले में सत्याग्रह आन्दोलन गठित करने का एक संकल्प पारित किया जि फांग्रेस ने सन् 1920 के नागपुर अधिवेशन में कार्यान्वित करने का निश्चय कियाथा। इसी समय हिन्दुसभा और गांधी सेवा संघ की शाखायें भी सागर में खोली गयी। इसके पूर्व श्रीमती ऐनीवें सेंट की होमरूल लीग की एक शाखा सागर में स्थापित की गयी थी। लीग के नागपुर प्रान्त के अध्यक्ष सागर के डॉ. हरीसिंह गौर थे और उसके सचिव डॉ. भुंजे थे। इसका भी उल्लेख मिलता है।

इस आन्दोलन के चलाने में सबसे बड़ा योगदान मास्टर बलदेव प्रसाद, केदारनाथ रोहण, मोलवी चिरागउद्दीन, केशव राव खंडेकर, विश्वास राव भावे का रहा।

सागर में जनरल डायर का विरोध वकीलों ने छोड़ी वकालत :-

पूरा इतिहास के काले अक्षरों में लिखी जनरल डायर की आततायी घटना के विरोध में जहाँ

देश आन्दोलन में कूद पड़ा वहीं इसी समय सागर के कटरा बाजार स्थित म्युनिसिपल स्कूल में मुंडे की अध्यक्षता में राजनीतिक कांग्रेस की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें पंजाब के जलियावाला बाग नित्ये कांग्रेसी नेताओं पर जनरल डायर द्वारा चलायी गयी अंधाधुंध गोलियों का विरोध किया गया।

सागर जिले में सबसे पहले केशवराव खांडेकर ने अपनी वकालत छोड़ी। इसके बाद टेकेन्द्र नाथ मुकर्जी, शंभूदयाल मिश्र, केदारनाथ रोहण, वालुकेदार, गोपाल राय श्रीखंडे, गोविन्दराव लोकरस खुरई, रहली के विश्वनाथ राव, देव बिहारी लाल वैरिस्टर। ' इसी के साथ ही अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ हुआ और खुरई में सबसे पहले क्रांतिकारी अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका मुकदमा श्री के. जी. एम. वैद्य सागर जिले की अदालत में हुआ। पीली कोठी की घटिया से लेकर दोनों कचहरी और आफीसरों के बंगलों पर पुलिस दस्ते तैनात थे। अदालत में जब भाई अब्दुल गनी का मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने लिखित में दिया कि मैं अदालत को अदालत समझना अपनी बेइज्जती समझता हूँ। मैं जानता हूं कि न्यायाधीश महोदय मुझे सजा देंगे इस ब्रिटिश हुकुमत ने इस मुल्क को चूसकर नंगा कर दिया है। आज चारों तरफ फौज और पुलिस का साम्राज्य फैला हुआ है। अदालत ने उन्हें एक साल की कैद की सजा दे दी और वे सागर जेल भेज दिये गये।

इसके कुछ दिन बाद बीना इटावा के लाला रुद्र प्रसाद श्रीवास्तव गिरफ्तार कर लिये ये और उन्हें एक साल की सजा दे दी गयी । उन्हें सिवनी जेल भेज दिया गया। अब्दुल गनी को फाँसी की सजा पाये गये गुनाहखाने में रखा गया। तीन दिन बाद खंडवा से श्री अर्जुनलाल सेठी गिरफ्तार कर सागर भेज दिये गये और अब्दुल गनी को सागर से बिलासपुर जेल भेज दिया गया। जहाँ उन्हें बहुत ही आराम से रखा गया। उसके कुछ दिन बाद दादा माखनलाल चतुर्वेदी सम्पादक कर्मवीर गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में रखे गये।

असहयोग आन्दोलन में मध्यप्रदेश में सिर्फ 06 क्रांतिवीरों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से दो सागर जिले के थे। एक अब्दुल गनी और दूसरे रूद्र प्रताप श्रीवास्तव, अर्जुनलाल सेठी वीर वामनराव जोशी, सुन्दरलाल और भगवान दीन जिले के बाहर के थे।

असहयोग के बाद और सविनय अवज्ञा के पहले तक सागर में क्रांतिकारी आन्दोलन :-

क्रांतिकारी अब्दुल गनी नागपुर जेल से छूटने के बाद शांत नहीं बैठे। उन्होंने "समालोचक" पत्र का सम्पादन किया और इस पत्र के माध्यम से सागर में क्रांति का अलख जगाये रहे। इसी समय वह समालोचक में प्रकाशित एक समाचार के कारण उन्हें फिर अंग्रेजों की अदालतो से गुजरना पड़ा। घटना यह थी कि मालथीन के जंगल में लेफ्टीनेंट गोल्डनीय की सहायता के पुलिस कप्तान सागर के आदेश पर कांस्टेबल जिसका नाम बरकतउल्ला था, भेजा गया। गोल्डनीय जंगल में शिकार खेल रहा था तभी बरकतउल्ला को एक सांभर दिखाई दिया और उसे मार गिराया। गोल्डनीय अपनी अक्षमता को छुपाने इस घटना से बौखला गया और उसने बरकतउल्ला को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वह मर गया। अब्दुल गनी ने इस पटना को "आज भी अंग्रेज अधिकारियों के हाथ से हिन्दुस्तानी भेड बकरियों की तरह मारे जाते है शीर्षक से प्रकाशित किया, जिस पर गनी को ग्रीन फील्ड डिप्टी कमिश्नर सागर ने अदालत में हाजिर होने का नोटिस दिया और यह कहा गया कि यह समाचार गलत है। गोल्डनीय ने बरकतउल्ला को गोली नहीं मारी। बरकतउल्ला के पिता हाफिजउल्ला ने भी कह दिया कि मेरे पुत्र की मृत्यु गोल्डनीय की गोली से नहीं हुई। इस पर गनी को नौ माह कैद और दो सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी।

इसी तरह दैनिक प्रकाश जिसके सम्पादक मास्टर बल्देव प्रसाद थे ने झंडा सत्याग्रह के दौरान नागपुर में गिरफ्तार किये

जाने वाले स्वयं सेवकों पर जो ज्यादतियां हो रही थी उस समाचार को प्रकाशित किया और इस पर नागपुर जेल के जेलर ने मास्टर बलदेव प्रसाद पर मुकदमा चलाया।

1926 में एक बार फिर कसाई खाना खोलने का विरोध :-

सन् 1926 में मध्य प्रांतीय सरकार ने जिसकी राजधानी नागपुर थी, खुरई के पास दलपतपुर रैयतवाडी पर कसाई खाना खोलना चाहा इस पर अब्दुल गनी ने काफी विरोध किया और उन पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सैफुद्दीन सा. की अदालत में मुकदमा चलाया गया। खुरई के इंस्पेक्टर मिस्टर नोराजी ने यह बयान दिया कि गनी डिफेन्स नहीं करेंगे और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये। इस पर सागर वार रूम के सभी वकीलों ने यह तय किया कि हम लोग इस मुकदमे को फ्री लड़ेगे। खुरई के डाक बंगले में इस मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई और इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने मिस्टर वर्मा से पूछा कि "अब्दुल गनी ने यह लिखा कि ऐसा कि मिस्टर वर्मा कहीं ऐसा न हो कि आपकी किसी कार्यवाही से खून बह जाये।' इसका क्या मतलब, तब उन्होंने कहा कि हमारे पास अब्दुल गनी के साथ खुरई के नागरिकों एक डेपूटेशन आया था जिसमें उन्होनें मुझसे यह कहा था कि रतौना कसाई खाना के बाद अब दलपतपुर पर कसाई खाना क्यों खोला जा रहा है। आप इस मामले की जांच करने आये है आप उचित कार्यवाही 1 की भावनाओं को देखकर करें। अब्दुल गनी का यह व्यवहार निहायत ही शरीफखाना था तब पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि मिस्टर वर्मा ऐसा न हो कि आपकी किसी कार्यवाही से खून न वह जाये इसका मतलब ठीक से बतलाइये। क्या आदमियों का खून वह जाने की तरफ इशारा था या जानवरों की तरफ तब मिस्टर वर्मा ने कहा कि इसका मतलब जानवरों का खून वह जाने की तरफ था। आखिर में इस मुकदमे को लड़ने के लिये डाक बंगले में एक दर्जन प्रमुख वकील अपने स्वयं के खर्चे। से पहुँचे थे जिनमें प्रमुख रूप से गोविन्दराव लोकरस, परषोत्तम लाल रोहण, श्री गोपीलाल श्रीवास्तव आदि ने पूरी जोरदार वकालत की। जनता में विरोध होने पर मध्य प्रांतीय सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर ई. गार्डन ने सीपी गजट में यह नोटिस प्रकाशित किया कि दलपतपुर रैयतवाड़ी की जमीन कसाई माता को नहीं दी जायेगी। जनाब सैफुद्दीन सा. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अब्दुल गनी को बाइज्जत बरी कर दिया।

इसके बाद खुरई से 8 मील पर रियासत पठारी के नवाब अब्दुल रहमान ने विलगांना गांव में कसाई खाना खोलने की घोषणा कर दी। जब इसका विरोध किया गया तब नवाव पठारी ने घोषणा की कि जो अब्दुल गनी को गिरफ्तार करके लाये या

पकड़कर पेश करेगा उसे 500/- इनाम दिया जायेगा। इसके तुरन्त बाद आन्दोलन जोर पकड़ा और रेजीमेन्ट इन्दौर और पॉलीटिकल एजेन्ट भोपाल द्वारा सीहोर को तार भेज कर नबाव सा. से ऐसी हरकत न करने का अनुरोध किया गया। आखिर में बिलगाना पर खुलने वाला कसाई खाना बंद कर दिया गया।

इसी समय 1926 में ही चकराघाट के फर्श पर वासुदेव राव सूबेदार की अध्यक्षता में सरकार के विरोध में चल रही सभा को मजिस्ट्रेट ने गैरकानूनी घोषित कर पुलिस से खूब लाठियाँ चलवायीं। लाठियों की मार से बचने जमा क्रांतिकारी तालाब में कूदकर जान बचाकर भागने लगे वासुदेव और पन्नालाल रांधेलिया बुरी तरह घायल हो गये जिसमें पन्नालाल रांधेलिया की आजादी के पहले ही मृत्यु हो गयी।

अब्दुल गनी सागर के ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो जीवन पर्यन्त अंग्रेजों की हुकुमत के विरुद्ध कभी शांत नहीं बैठे। 1927 में वे जबलपुर गये और वहाँ "हिन्दुस्तान" नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का सम्पादन किया। कुछ अंक ही प्रकाशित हुये थे कि मेरठ कॉफ्रेंसी के मामले मे हिन्दुस्तान पत्र की तलाशी ली गई

और उनमें जर्मन और रूस की चिडियों पकड़ी गई चिट्ठियों के पकड़े जाते ही अब्दुल गनी ने सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी सुपरिटेन्डेंट श्री बृजमोहन नाथ हुक्कू चाय पानी और बाथरूम करने की इजाजत मांगी इजाजत मिलते ही अब्दुल गनी फरार हो गये पुलिस तराशती रही।